राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवांए, राज0 जयपुर

कमांकः–ई–18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/ दिनांकः–

परिपत्र

जिलो से प्राप्त जानकारी के आधार पर मालूम हुआ है कि बहुत सारे कनिष्ठ लिपिक अपने मूल पद पर कार्यरत नहीं होकर अन्य पदों के विरूद्ध कार्यरत रहते हुए उनका वेतन आहरित किया जा रहा है जबकि जिलों में मूल कनिष्ठ लिपिक के पद रिक्त चल रहे है, ऐसी स्थिति में अनेक बार वित्त विभाग द्वारा पद अनावश्यक समझ कर समाप्त कर दिये जाते है । यह स्थिति चिंताजनक है, इसके कारण संवर्ग के पद कम होते जा रहे है ।

इसलिए रिक्त कनिष्ठ लिपिक के पदो पर प्राथमिकतानुसार पदविरूद्ध कार्यरत कर्मचारी को मूल पद पर समायोजित कर उनका वेतन आहरित कर निदेशालय को सूचित करें तथा शेष पदविरूद्ध कार्यरत कर्मचारियों की सूची मय नाम एवं पद के भिजवायें, ताकि उनके समायोजन के आदेश यहॉ से किए जा सकें ।

इसके साथ ही निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में बिना अनुमति के किसी कर्मचारी को अन्य पद के विरूद्ध नहीं लगायें, अन्यथा इसे गम्भीरता से लेकर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

कमांकः–ई–18/एम/डीपीसी/व0लि0/09/1103 दिनांकः–5/6/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– समस्त संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर ।
2– समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राज0
3– प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राज0
4– प्रभारी, सर्वर रूम, मु.

अति0 निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर